संख्या- 667/77-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 27 अगस्त, 2024**

विषयः- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजीशक्ति पोर्टल पर पात्र प्रत्येक लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021, दिनांक 18.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त योजनान्तर्गत यूपीडेस्को को नोडल संस्था नामित किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल (https://digishaktiup.in/app) के माध्यम से लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही करायी जाती है। साथ ही योजनान्तर्गत लाभार्थियों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभागों आदि स्टेकहोल्डर्स के मध्य वांछित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट (https://digishakti.up.gov.in) भी क्रियाशील है।

2- अवगत कराना है कि टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही हेतु डिजीशक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया एवं शिड्यूल के अनुसार लाभार्थियों के डाटा को उनके सम्बन्धित संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर वेरीफाई किया जाता है। तत्पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाता है तथा अप्रूव किये गये डाटा को सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किया जाता है। उक्त प्रक्रिया से लॉकिंग उपरान्त ही लाभार्थी डिजीशक्ति पोर्टल पर टैबलेट/स्मार्टफोन पाने के लिये पात्र होते हैं। पात्र लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने हेतु उनका आधार प्रमाणीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट/पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गयी है।

3- उक्त व्यवस्थान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु डिजीशक्ति वेबसाईट के होम पेज पर लिंक उपलब्ध होगा। टैबलेट/स्मार्टफोन प्राप्त किये जाने के पूर्व पात्र लाभार्थी द्वारा अपने आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही निम्नवलिखित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जानी होगी जिसका विस्तृत विवरण/यूज़र मैनुअल Annexure-1 पर उपलब्ध है:-

(1) लाभार्थी द्वारा डिजीशक्ति वेबसाईट (https://digishakti.up.gov.in) पर उपलब्ध "e-KYC through Meri Pahchan Portal" लिंक क्लिक किया जाना होगा।

(2) तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा "Search Student Details" पेज पर अपना वांछित विवरण यथा विश्वविद्यालय एवं संस्थान का नाम तथा एन्रोलमेन्ट नम्बर भरकर अपना नाम सर्च किया जाना होगा।

(3) लाभार्थी का विवरण सर्च हो जाने की दशा में e-Pramaan Meri Pahchan Portal के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा निम्नवत आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा:-

(i) लाभार्थी द्वारा e-Pramaan Meri Pahchan Portal पर स्वयं को पंजीकृत कर e-KYC सम्पन्न किया जाना होगा।

(ii) लाभार्थी द्वारा अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करते हुये आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।

(4) उपरोक्तानुसार पात्र लाभार्थी का डिजीशक्ति पोर्टल पर Name, Gender एवं Date of Birth सम्बन्धी विवरण, उक्त लाभार्थी के आधार पर उपलब्ध इन विवरणों के समान होने की स्थिति में वेबसाईट के "Search Student Details" पेज पर Aadhaar e-KYC Status-Verified प्रदर्शित होगा।

(5) उक्त विवरण के समान नहीं होने की स्थिति में वेबसाईट पर Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होगा।

4- Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल पर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराया जाना होगा। विवरण संशोधित होने के पश्चात उपरोक्त बिन्दु-5 की प्रक्रियानुसार पात्र लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही की जानी होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

23.8.24

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक : यथोपरि।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।